

OFFICE OF THE SECY.CUM-COMMISSIONER DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
5/9, UNEDR HILL ROAD, DELHI

F-PS/Dev. Comm/2018/41

Date. 28/2/18


To

The Deputy Secretary (Question Branch)
Delhi Legislative Assembly,
Old Secretariat
Delhi

Subject:- Reply to the un-starred question No. 55 of Shri Girish Soni ,
Hon'ble MLA

Sir,

Please find enclosed herewith the reply (150 numbers) to the aforesaid
question with soft copy .


25.2.2018

(Manisha Saxena)
Secy. -cum- Commissioner (Dev.)



Delhi Agricultural Marketing Board
(Govt. of NCT of Delhi)
9, Institutional Area, Pankha Road,
Janakpuri, New Delhi-110058
Tel:- 28521032, 28524420 Fax:-011-28525771
E-Mail:- ambdl@nic.in, Website:- www.delagrmarket.nic.in

F.No. 39017(45)/2018/DAMB/Coord/Pcs/V.sq./ 1735

Dated 22/02/19

सेवा में,

उप - सचिव (Q)
दिल्ली विधान सभा,
सचिवालय पुराना सचिवालय,
दिल्ली-110054.

विषय :- श्री गिरीश सोनी, माननीय विधायक द्वारा विधान सभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या -55 के सम्बन्ध में !

उक्त विषय के संदर्भ में दिल्ली कृषि विपणन परिषद के अंतर्गत आने वाली मण्डिओ से सम्बंधित सूचना निम्नलिखित है :-

	प्रश्न	उत्तर
क.	क्या यह सत्य है कि विकास विभाग के अधीन आने वाली मंडी में बहुत सी दुकानें अभी तक खाली पड़ी है !	हां ।
ख.	यदि हां । तो उनकी संख्या का पूर्ण विवरण दिया जाए !	दिल्ली कृषि विपणन परिषद के अंतर्गत आने वाली मण्डिओ में खाली / अनावंटित दुकानों का विवरण इस प्रकार है :- (1) फल व सब्जी मंडी, आज्ञादपुर - 0 (शून्य) (2) फल व सब्जी मंडी, गाज़ीपुर - 150 (3) फूल मंडी, गाज़ीपुर - 0 (शून्य) (4) मुर्गा मछली मंडी, गाज़ीपुर - (1) मछली मंडी - 09 (2) मुर्गा मंडी - 01 (5) फल व सब्जी मंडी, केशोपुर - 26 (6) नयी सब्जी मंडी, नरेला - 22 (7) नयी सब्जी मंडी, नजफगढ़ - 01

ग.	ये दुकानें किस आधार पर आबंटित की जाती हैं !	बोर्ड संकल्प संख्या न. 115/ 15 दिनांक 23.11.2015 में यह तय किया है कि इन खाली पड़ी दुकानों को ई-नीलामी के द्वारा आबंटित किया जायेगा। ई-नीलामी के माध्यम से दुकानों का आवंटन जून 2019 में कर दिया जायेगा।
घ.	क्या दुकानों के सामने खाली पड़े शेडो को भी किराये पर दिया जाता है !	दुकानों के सामने शेडो को किराये पर नहीं दिया जाता और इन्हे नीलामी के लिए प्रयोग में लाया जाता है।
इ.	यदि नहीं तो ऐसे लोगों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की जाती है !	यदि इन शेडो पर कोई अतिक्रमण होता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(Handwritten Signature)

मुकेश कुमार मीणा
उप सचिव(कोर्डिनेशन)